वूमनकार्ट लिमिटेड

(पूर्व में वूमनकार्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)
सीआईएन L74999DL2018PLC336138
पंजीकृत कार्यालय का पताः एफ –14/57, तृतीय तल, मॉडल टाउन–II, नई दिल्ली–110009
ईमेल आईडीः info@womancart.in, wcart2018@gmail.com, Madhusudanpahwal1970@gmail.com
वेबसाइटः www.womancart.in, फोन नंबरः 91 9311866860, 91 9811382449

सूचना

वार्षिक आम बैठक और ई–वोटिंग जानकारी की सूचनाः

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के सदस्यों की 07वीं वार्षिक आम बैठक(एजीएम) मंगलवार,30 सितंबर, 2025 को दोपहर 01.00 बजे ,एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों को पूरा करने के लिए,पंजीकृत कार्यालय एफ–14/57,तीसरी मंजिल,मॉडल टाउन–II, नई दिल्ली–110009 में सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के माध्यम से आयोजित की जाएगी। एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र के अनुपालन में,वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड में उन सभी सदस्यों को भेजी गई है,जिनकी ई–मेल आईडी कंपनी या रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट या उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं।

रिमोट ई–वोटिंगःकंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों और समय–समय पर संशोधित कंपनी(प्रबंधन एवं प्रशासन) संशोधन नियम,2014 के नियम 20, एसएस–2 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई रिमोट ई–वोटिंग सेवाओं के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी कार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा के लिए विस्तृत निर्देश एजीएम की सूचना में दिए गए हैं, जो सदस्यों को भेज दी गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के अनुसार विवरण नीचे दिए गए हैं:

1. रिमोट ई–वोटिंग के लिए कट–ऑफ तिथि 23 सितंबर, 2025 है।
2. ई–वोटिंग की अवधिः ई–वोटिंग 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9.00 बजे से शुरू होगी और 29 सितंबर, 2025 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगी। कृपया ध्यान दें कि उपर्युक्त समय और तिथि के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं होगी।
3. जिन व्यक्तियों ने एजीएम की सूचना भेजे जाने के बाद शेयर अर्जित किए हैं और कंपनी के सदस्य बन गए हैं और कट–ऑफ तिथि यानी 23 सितंबर, 2025 तक शेयर धारण कर रहे हैं,वे एजीएम की सूचना में दिए गए रिमोट ई–वोटिंग के निर्देशों और प्रक्रिया का पालन करके अपना वोट डाल सकते हैं।
4. वह व्यक्ति, जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में केवल कट–ऑफ तिथि तक दिखाई देता है, रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा के साथ–साथ एजीएम में मतदान करने का हकदार होगा। हालाँकि, यदि व्यक्ति पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पंजीकृत है, तो वोट डालने के लिए मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।
5. जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन एजीएम में दोबा. रा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे।
6. शेयरधारकों द्वारा ई–वोटिंग सुविधा और ई–मेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। यह कंपनी की वेबसाइटरू www.womancart.in, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट www.evotingindia.com और एनएसई इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटः https://www.nseindia.com पर उपलब्ध है।
7. किसी भी प्रश्न के लिए, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (ए.फ) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या वरिष्ठ प्रबंधक सुश्री पल्लवी म्हात्रे को evoting@nsdl.com पर अनुरोध भेज सकते हैं। जिन सदस्यों को बैठक से पहले या बैठक के दौरान सहायता की आवश्यकता हो, वे evoting@nsdl.com पर एनएसडीएल से संपर्क कर सकते हैं या 022–4886–7000 पर संपर्क कर सकते हैं।

वूमनकार्ट लिमिटेड के लिए
हस्ता ./–
मधु सूदन पाहवा
प्रबंध निदेशक
डीआईएन संख्याः 07661541

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 05.09.2025

लक्ष्मण इंडस्ट्रीज लिमिटेड

सीआईएन : U31909DL1962PLC003741
पंजीकृत कार्यालय : 15/1 आसफ अली रोड, नई दिल्ली–110002, भारत
टेली : 011–23234846, ईमेल : laxmangroup@gmail.com

सदस्यों को सूचना

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को पंजीकृत कार्यालय 15/1 आसफ अली रोड, नई दिल्ली 110002 में आयोजित की जाएगी और कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 91 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बहियां वार्षिक आम बैठक के उद्देश्य से शनिवार, 13 सितंबर, 2025 से शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी

कंपनी के सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और अन्य लागू प्रावधानों के अनुसरण में, कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) संशोधन नियमावली, 2014 के नियम 20 के अनुसार, 19 सितंबर, 2025 को आयोजनार्थ निर्धारित अपनी वार्षिक आम बैठक की सूचना का काम पूरा कर लिया है, और कंपनी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 62वीं वार्षिक आम बैठक में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए सदस्यों को सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है और एजीएम के स्थल के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम का उपयोग करके सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

- सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर रजिस्टर 13 सितंबर, 2025 से 19 सितंबर, 2025, दोनों तिथियां शामिल, तक बंद रहेंगे।
- सदस्यों के मतदान अधिकार 18 सितंबर, 2025 की कट–ऑफ तिथि पर कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे।
- कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि अर्थात 18 सितंबर, 2025 तक शेयर धारक है, वह कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, अलंकित असाइनमेंट्स लिमिटेड को लिख सकता है, या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल भेज सकता है।
- एजीएम में बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा बैठक में उपस्थित जिन सदस्यों ने ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है, वे बैठक में बैलेट पेपर के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे।
- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल दिया है वे भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
- अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद, घोषित परिणाम, संवीक्षक की रिपोर्ट सहित, सीडीएसएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए जाएंगे।

ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के लिए, श्री वेंक्सेलाल फुर्टाडो, उप प्रबंधक, सीएसडीएल, 16वां तल, पी.जे. टावर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई – 400001 से संपर्क करें। ईमेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com
संपर्क नंबर 18002005533

कृते लक्ष्मण इंडस्ट्रीज लिमिटेड
दिनांक : 10 सितंबर, 2025
स्थान : नई दिल्ली

हस्ता./–
अशोक कुमार अग्रवाल
(निदेशक)
(डीआईएन : 00005416)

हस्ता./–
हर्ष अग्रवाल
(निदेशक)
(डीआईएन : 01210724)

हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 09, कम्युनिटी सेंटर, बसंत लोक, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057

सार्वजनिक सूचना (अचल संपत्ति की बिक्री हेतु ई–नीलामी)

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत]

[illegible]

HHFLAXHOU 23000039365	[illegible]	20/09/2024, रु. 21,70,985.44/-	[illegible]	रु. 17,00,000/-	रु. 1,70,000/-
HHFNOIHOU22000024140/ HHFNOIIPL22000024141	[illegible]	14/10/2024, रु. 4,02,416.34/-	भौतिक	Rs. 9,50,000/-	रु. 95,000/-

[illegible]

www.herohousingfinance.com

कर्जदार/जमानती/बंधककर्ता को 30 दिवसीय बिक्री सूचना

[illegible]

दिनांकः 10.09.2025
कृते हीरो हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

मनाप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड

MANAPPURAM HOME FINANCE LTD.
(पूर्व में: मनाप्पुरम होम फाइनेंस प्रा. लि.)
CIN: U65923KL2010PIC039179
यूनिट 301–315, 3री मंजिल, ए विंग, कनकिया वॉल स्ट्रीट, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई – 400093,
संपर्क नं.: 022–68194000/022–66211000

मांग सूचना

जैसा कि मनाप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय IV/470ए (पुराना),डब्लू/638अ (नया), मनाप्पुरम हाउस, वलपाड, त्रिशूर, केरल – 680567 में स्थित है तथा जिसकी शाखाएं भारत के विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं (इसके बाद **"एमएचओएफआईएन"** विदित), कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी एवं वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद **"अधिनियम"** विदित) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (एम) की उपखंड (iv) में वर्णित रूप में एक वित्तीय संस्थान है, तथा जिसे भारत सरकार, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18 दिसंबर, 2015 को जारी अधिसूचना संख्या एस.ओ. 3466 (ई) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, जो मुख्य रूप से आवास इकाइयों के निर्माण और/या खरीद हेतु ऋण प्रदान करने के व्यवसाय में संलग्न है और जैसाकि, नीचे तालिका के कॉलम संख्या 2 में वर्णित ऋणधारको/ सह–ऋणधारको ने एमएएचओएफआईएन से ऋण प्राप्त किया था, और जैसाकि, एमएएचओएफआईएन, सर्फैसी अधिनियम के तहत एक प्रतिभूत ऋणदाता होने के नाते तथा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 2 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, उक्त उधारकताओं / सह–उधारकताओं को सूचना जारी कर 60 दिनों की अवधि के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि के भुगतान करने हेतु निर्देश दिया था, किन्तु विभिन्न कारणों से उनमें से कुछ को उक्त सूचना सर्व नहीं किया जा सका। अतः उपरोक्त संदर्भ में एवं नीचे उल्लेखित उधारकताओं की जानकारी हेतु, यह सार्वजनिक सूचना जारी की जा रही है।

क्रम सं.	उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता का नाम/लेन/शाखा	प्रतिभूत संपत्ति का विवरण जिसके लिये प्रतिभूति हित निर्मित किया गया है	एनपीए तिथि	भेजी गयी सूचना की तिथि और बकाया राशि
1	मौसम देवी, जितेंद्र कुमार जाटव, मुकेश कुमार जाटव/ एनएचएल00520034703 /जयपुर	प्लाट नं. 5831, खसरा नं. 469 में, ग्राम कंजोली, ग्राम पंचायत कंजोली, तहसील टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी, करौली, राजस्थान 322230। क्षेत्रफल 272.22 वर्ग गज। पूर्वः जनक गुर्जर का पाटोर पोश, पश्चिमः सड़क, दक्षिणः रामस्वरूप की खुली जमीन, उत्तरः राजू का घर और पाटोर पोश।	09–08–2025	12–08–2025 और रू767001/–
2	नीरज बाई, भूर सिंह, देवी सिंह/एनएचएल00520033959/जयपुर	प्लॉट (पट्टा सं. 1355) का आवासीय भूखंड, क्षेत्रफल 67.36 वर्ग गज, ग्राम पंचायत मेंडे का पुरा, पंचायत समिति नादोती, जिला करौली, राजस्थान, पिन कोडः 322216, पूर्वः 6 फीट की गली और उसके बाद श्री रामप्रसाद का घर, पश्चिमः साझा रास्ता, दक्षिणः श्री हरकेश की जमीन और उसके बाद 15 फीट की सड़क, उत्तरः स्वयं की खुली जमीन और उसके बाद श्री राधे श्याम का घर।	09–08–2025	12–08–2025 और रू410858/–
3	मंडोर देवी, रामप्रसाद मीणा/एमएचएल00520025413/जयपुर	प्लॉट नं. 67, संकल्प नं. 02 , गांव हमवास, ग्राम पंचायत भनवाटा, पंचायत समिति रामगढ़ पचवारा, दौसा, क्षेत्रफल 177.77 वर्ग गज, ग्राम पंचायत भनवाटा के अधिकार क्षेत्र में, और सब–रजिस्ट्रार राहुवास, डाकघर नांगल राजवातन, राजस्थान, पिन कोडः 303505 की सीमा के भीतर। पूर्वः साझा रास्ता, पश्चिमः गोवर्धन मीणा की कृषि भूमि, दक्षिणः साझा रास्ता, उत्तरः खुली आवासीय भूमि।	09–08–2025	12–08–2025 और रू483913/–

दिनांकः 10.09.2025
स्थानः राजस्थान
हस्ता/–अधिकृत अधिकारी
मनाप्पुरम होम फाइनेंस लिमिटेड

डेविन संस रिटेल लिमिटेड

सीआईएनः L14101DL2022PLC393510
पंजीकृत कार्यालयः 609, छठी मंजिल, पी.पी. सिटी सेंटर, प्लॉट संख्या 3, रोड संख्या 44, पीतमपुरा, रानी बाग, उत्तर पश्चिम दिल्ली, भारत, 110034
फोन नंबर–01149092127, ईमेल आईडीः info@davinsonsretail.com,
वेबसाइटः Davin Sons Retail LTd

तीसरी वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग की सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि डेविन संस रिटेल लिमिटेड (कंपनी) की तीसरी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो–विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से मंगलवार,30 सितंबर,2025 को शाम 4.00 बजे(आईएसटी) को एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्यवाही का संचालन करने के लिए आयोजित की जाएगी।

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम की सूचना 08 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेज दी है, जिनके ई–मेल पते कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट या डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत हैं, जो कि एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करने के लिए सामान्य कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 05 मई 2020 और इस संबंध में जारी किए गए बाद के परिपत्रों, जिनमें से नवीनतम परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर 2024 शामिल है और सेबी द्वारा जारी परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/ पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 03 अक्टूबर 2024 है(सामूहिक रूप से''परिपत्र'' के रूप में संदर्भित) के अनुसार है। वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के लिए गिना जाएगा।

इसके अतिरिक्त,सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार, उन शेयरधारकों को एक पत्र भेजा गया है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/आरटीए/डीपी के साथ पंजीकृत नहीं हैं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट तक पहुँचने के लिए वेब–लिंक और पथ प्रदान किया गया है।

वार्षिक आम बैठक की सूचना, 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज कंपनी की वेबसाइट **Davin Sons Retail** रस्क पर भी उपलब्ध हैं और स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट **www.bseindia.com** और सीडीएसएल की वेबसाइट **www.cdslindia.com** पर उपलब्ध है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20, समय–समय पर संशोधित, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 (सूचीबद्धता विनियम) और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी आम बैठक संबंधी सचिवीय मानक–2 के अनुपालन में, कंपनी सदस्यों को वार्षिक आम बैठक में पारित किए जाने वाले सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करते हुए प्रसन्न है। कंपनी ने दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से मतदान, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक में भागीदारी और वार्षिक आम बैठक के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने के लिए सीडीएसएल को नियुक्त किया है।

क)	वोटिंग की कट ऑफ तिथिः	मंगलवार, 23 सितंबर, 2025,
ख)	रिमोट ई–वोटिंग का प्रारंभः	शनिवार, 27 सितंबर, 2025, सुबह 9.00 बजे,
ग)	रिमोट ई–वोटिंग की समाप्ति :	सोमवार, 29 सितंबर, 2025, शाम 5.00 बजे

सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से एजीएम की सूचना में निर्धारित कार्य पर दूरस्थ रूप से या एजीएम के दौरान अपना वोट डालने का अवसर मिलेगा। डीमैटरियलाइज्ड मोड या फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले और अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं कराने वाले सदस्यों के लिए एजीएम के दौरान दूरस्थ रूप से या वोट करने का तरीका एजीएम बुलाने की सूचना में दिया गया है। भौतिक रूप में शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति और गैर–व्यक्तिगत शेयरधारक, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और ई–मेल के माध्यम से नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट–ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है, वह सीडीएसएल को **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर या जारीकर्ता/आरटीए को अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि,यदि आप पहले से ही रिमोट ई–वोटिंग के लिए सीडीएसएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। निदेशक मंडल ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान प्रक्रिया की जांच करने के लिए मेसर्स प्रिया बिनानी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज को स्क्रूटिनाइजर के रूप में नियुक्त किया है। यदि एजीएम में भाग लेने और सीडीएसएल ई–वोटिंग सिस्टम से ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या हो, तो आप **helpdesk.evoting@cdsl.com** पर ईमेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर 1800 210 9911 पर संपर्क कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए, कृपया श्री राकेश दलवी, वरिष्ठ प्रबंधक,(सीडीएसएल) सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मार्थन फ्यूचर, मफतलाल मिल कंपाउंड्स, एन एम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई–400013 से संपर्क करें या **helpdesk.evoting@cdsl.com** पर ईमेल भेजें या टोल–फ्री नंबर 1800 210 9911 पर कॉल करें। अधिक जानकारी के लिए, सदस्यों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक की सूचना में दिए गए निर्देशों का संदर्भ लें।

डेविन संस रिटेल लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/
– मोहित अरोड़ा
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07231072

दिनांक 08.09.2025
स्थानः नई दिल्ली

बिक्री की सूचना

लेग्रोथ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में)
परिसमापकः आईपी सोनिया गुप्ता
परिसमापक का पताः सी–501, श्री बालाजी सीजीएचएस लिमिटेड, प्लॉट नं. 37, सेक्टर–6, द्वारका, नई दिल्ली–110075
ई–मेलः cirp.lagrowthapl@gmail.com; ipsoniyag@gmail.com
मोबा.: +91–9811287070

15वीं ई–नीलामीः आईबीबीआई(परिसमापन प्रक्रिया), विनियम, 2016 के विनियम 32(सी) के अनुसार संपत्तियों के सेट की सामूहिक बिक्री।
ई–नीलामी की तिथि और समयः 10 अक्टूबर, 2025
समयः दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट का असीमित विस्तार के साथ)
नीलामी प्लेटफॉर्म पर पात्रता दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथिः 07 अक्टू., 2025, शाम 06:00 बजे तक
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 07 अक्टू., 2025, शाम 06:00 बजे तक

मैसर्स लेग्रोथ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (परिसमापन में) के मामले में भारत दिवाला और दिवालियापन मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 32(सी) के अनुसार माननीय एनसीएलटी, दिल्ली बेंच (कोर्ट–क्ष) द्वारा 12 मार्च, 2024 के आदेश के तहत नियुक्त परिसमापक के द्वारा गठित परिसमापन एस्टेट का हिस्सा के रूप में सामूहिक रूप से बेची जाने वाली परिसंपत्तियों के सेट की बिक्री। प्रस्तावित बिक्री ऑनलाइन ई–नीलामी सेवा प्रदाता मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आईबीबीआई द्वारा निर्दिष्ट ई–नीलामी प्लेटफॉर्म https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home पर होगी।

परिसंपत्ति	सेट सं.	आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	वृद्धि मूल्य
व्यापार में प्राप्य और कंप्यूटर	1	रु. 3,80,15,000.00	रु. 38,01,500.00	रु. 50,000.00

महत्वपूर्ण नोटः

1. ई–नीलामी "जैसा है जहां है, जैसा है जो है, जो कुछ भी है और बिना किसी उपचार के आधार पर" आयोजित की जाएगी, क्योंकि ऐसी बिक्री आईबीबीआई ई–नीलामी पोर्टल https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home या https://www.ebkray.in पर BAANKNET के माध्यम से स्वीकृत सेवा प्रदाताओं द्वारा किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है।
2. भारत दिवाला और दिवालियापन मंडल (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016, अनुसूची I "बिक्री का तरीका खंड 1 (5ए)" के अनुसार, बोलीदाताओं को यह घोषणा करनी होगी कि वे धारा 29ए के तहत अयोग्य नहीं हैं या पात्रता की शर्तों को पूरा कर रहे हैं; यदि बाद में अयोग्यता स्थापित होती है तो कोई भी ईएमडी जब्त कर लिया जाएगा।

ई–नीलामी के नियम और शर्तें इस प्रकार हैं:

1. सभी आवेदकों से अनिवार्य रूप से अनुरोध है कि वे ईएमडी जमा करने और प्रक्रिया में भाग लेने से पहले, आईबीबीआई के पोर्टल या ऑनलाइन ई–नीलामी सेवा प्रदाता की आधिकारिक साइट पर नियमों और शर्तों को देख लें।
2. इच्छुक आवेदक ई–नीलामी प्लेटफॉर्म यानी https://baanknet.com/ या https://www.ebkray.in और कॉर्पोरेट देनदार की वेबसाइट यानी www.lagrowthassociates.com पर उपलब्ध 15वीं ई–नीलामी के नियमों और शर्तों वाले पूर्ण ई–नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज का संदर्भ ले सकते हैं। इच्छुक बोलीदाताओं को BAANKNET पर वॉलेट के माध्यम से धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करनी होगी।
3. संभावित बोलीदाताओं को 07 अक्टूबर, 2025 को या उससे पहले ई–नीलामी पोर्टल पर ई–नीलामी दस्तावेजों में निर्धारित प्रारूप में दस्तावेज जमा करने होंगे। विस्तृत नियमों और शर्तों के साथ बोली फॉर्म https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।
4. उच्चतम बोली लगाने वाले की पहचान सफल बोलीदाता की स्थिति की गारंटी नहीं देती है। परिसमापक, हितधारक परामर्श समिति (एससीसी) के परामर्श से, सफल बोलीदाता घोषित करने का एकमात्र अधिकार रखता है। परिसमापक और एससीसी का निर्णय सभी बोलीदाताओं पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
5. एससीसी के परामर्श से सफल बोलीदाता की घोषणा के बाद, परिसमापक सफल बोलीदाता को आशय पत्र (एलओआई) जारी करेगा और शेष भुगतान की मांग करेगा (ई–नीलामी दस्तावेज में उल्लिखित विस्तृत नियमों और शर्तों के अनुसार)। सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर शेष राशि जमा करने में चूक होने पर जमा की गई पूरी राशि (ईएमडी + सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान की गई कोई अन्य राशि) जब्त कर ली जाएगी।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि यह आमंत्रण संभावित बोलीदाताओं को आमंत्रित करने के उद्देश्य से है और परिसमापक या कंपनी की ओर से बिक्री को प्रभावी बनाने के लिए किसी भी प्रकार का बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है। परिसमापक को बिना कोई कारण बताए और बिना किसी भी तरह की देयता के, किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार या रद्द करने, या ई–नीलामी के किसी भी नियम और शर्त को संशोधित या विस्तारित करने, या किसी भी इच्छुक पार्टी, संभावित निवेशक, या बोलीदाता को अयोग्य घोषित करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।
7. बोली लगाने के इच्छुक बोलीदाता, अपनी बोली जमा करने से पहले, संपत्ति के स्वामित्व, किसी भी रखरखाव शुल्क के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करें और अपनी लागत पर संपत्ति का निरीक्षण करें तथा स्वयं को संतुष्ट करें।
8. BAANKNET की वेबसाइट से किसी भी तकनीकी खराबी या सिस्टम समस्या के मामले में, परिसमापक जिम्मेदार नहीं होगा। ई–नीलामी में भाग लेने की अपनी क्षमता सुनिश्चित करने के लिए बोलीदाता पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। हालांकि, किसी भी प्रश्न या सहायता के मामले में, इच्छुक खरीदार को नीलामी दस्तावेज की आगे की नियम और शर्तों के अधीन, निर्धारित नीलामी से 48 घंटे पहले परिसमापक से संपर्क करना चाहिए।
9. उपरोक्त संपत्तियों का निरीक्षण संभावित बोलीदाताओं द्वारा सुश्री ईशा अरोड़ा (परिसमापक की टीम सदस्य) से मोबा.: +91 8130249927 पर संपर्क करके, पूर्व नियुक्ति के साथ किया जा सकता है।
10. ई–नीलामी सेवा प्रदाता निर्धारित समय पर नीलामी आयोजित करेगा (https://ibbi.baanknet.com/eauction-ibbi/home)
11. ई–नीलामी की तिथि और समय 10 अक्टूबर, 2025 को दोपहर 03:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) होगा।
12. किसी भी तकनीकी सहायता के लिए कृपया पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड सहायता डेस्क पर +91–8291220220 पर कॉल करें या support.ebkray@psballiance.com पर ईमेल करें या cirp.lagrowthapl@gmail.com पर ईमेल करें या सुश्री ईशा अरोड़ा (परिसमापक की टीम सदस्य) से मोबाइलः +91 8130249927 पर संपर्क करें।

हस्ता./–
सोनिया गुप्ता
परिसमापक
मैसर्स लेग्रोथ एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
(पूर्व में मोंटेज सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम विदित) के मामले में
पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N01155/2021-2022/13863,
एएफए 30 जून, 2026 तक मान्य
पंजीकृत पताः सी–501, श्री बालाजी सीजीएचएस लिमिटेड, प्लॉट नं. 37, सेक्टर–6, द्वारका, नई दिल्ली–110075
परियोजना–विशिष्ट पताः यूनिट नं. 208 और 209, 2री मंजिल, अग्रवाल द्वारका प्लाजा, प्लॉट नं. 6, एलएससी मार्केट, सेक्टर–6, द्वारका, नई दिल्ली–110075
ईमेलः cirp.lagrowthapl@gmail.com; ipsoniyag@gmail.com
संपर्क नं.: +91–9811287070

दिनांकः 10.09.2025
स्थानः नई दिल्ली

ESAF

ESAF SMALL FINANCE BANK
REGD. OFFICE: ESAF Bhavan, Mannuthy, Thrissur- 680 651, Kerala.

GOLD AUCTION NOTICE

Notice is hereby given for the information of all concerned that Gold ornaments pledged with ESAF Small Finance Bank and not redeemed by borrowers, despite repeated reminders and notices, of our branches, are listed below. This will be auctioned as per the details given below:

DATE OF AUCTION: 19-09-2025 **TIME:** 2pm to 5 pm
AUCTION VENUE: Through e-Auction
AUCTION ADDRESS: https://egold.auctiontiger.net
Contact Number: 9099013705 / 6351896640

To register as bidder for the e-Auction with terms and conditions, and full details of e-Auction please visit the above site.

BRANCHES & LOAN ACCOUNT NUMBERS

BAWANA: 63250000597124, **NEWDELHI- PASCHIMVIHAR:** 63250000624195, **NEWDELHI-MAYURVIHAR:** 63250000528785, 544935, **NEWDELHI-ROHINI:** 63250000505519.

Customers who are interested to release the ornaments by paying the total due amount may do so, at the respective branches, on or two days before the date of the auction.

Bidders who wish to participate in the auction shall produce their KYC documents. GST No. is mandatory for registered firms/companies. Bidders shall deposit a sum of Rs.50,000 as EMD before participating in the auction.

Thrissur
Date: 10-09-2025
Sd/-
Authorized Signatory

Emami REALTY LIMITED

CIN: L45400WB2008PLC121426
Regd. Off: Acropolis, 13th Floor, 1858/1, Rajdanga Main Road, Kasba, Kolkata - 700107,
Tel: 022 6625 1200; E-mail: infra@emamirealty.com
Website: www.emamirealty.com

सार्वजनिक घोषणा

यह सूचित किया जाता है कि सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (इक्विटी शेयरों के डिलिस्टिंग) नियम, 2021 ("सेबी डिलिस्टिंग नियम") के नियम 6 के तहत, इमामी रियल्टी लिमिटेड ("कंपनी") अपनी इक्विटी शेयरों को कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड ("सीएसई ") से स्वैच्छिक डिलिस्टिंग के लिए आवेदन कर रही है। कंपनी के इक्विटी शेयर बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) पर सूचीबद्ध बने रहेंगे, जिनके देशभर में ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं। इसलिए, सेबी डिलिस्टिंग नियम 6 के अनुसार, शेयरधारकों को कोई निकासी अवसर प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।

डिलिस्टिंग की आवश्यकता और उद्देश्य:

सेबी डिलिस्टिंग नियमों के अनुसार, कंपनी के इक्विटी शेयर सीएसई से डिलिस्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि ये शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध बने हुए हैं। कंपनी के इक्विटी शेयरों का सीएसई पर कई वर्षों से कोई व्यापार नहीं हुआ है। इस प्रकार, सीएसई पर सूचीबद्ध रहने से निवेशकों को कोई सार्थक लाभ नहीं मिलता है, बल्कि कंपनी के लिए अतिरिक्त अनुपालन और सूचीबद्धता लागत उत्पन्न होती है। सीएसई से प्रस्तावित डिलिस्टिंग से शेयरधारकों के हितों को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध और कारोबार में बने रहेंगे, जो देशव्यापी ट्रेडिंग प्लेटफार्म हैं और पर्याप्त तरलता प्रदान करते हैं।

बोर्ड के आदेशानुसार
इमामी रियल्टी लिमिटेड के लिए
पायल अग्रवाल
कंपनी सचिव
आईसीएसआई सदस्यता संख्याः A22418

कोलकाता
9 सितम्बर, 2025

सिल्की ओवरसीज लिमिटेड

CIN : U17110DL2016PLC298888
पंजीकृत कार्यालय : ए –48, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली –110052
दूरभाष : 9873473891, 9312747584, ईमेल – info@silkoverseas.com

9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, बही समापन तथा ई–वोटिंग जानकारी

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सिल्की ओवरसीज लिमिटेड (कंपनी) की 9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 को अपराह्न 03:00 बजे आयोजित की जाएगी, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 के अनुपालन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी तथा भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी विभिन्न परिपत्रों के साथ पढ़ा जाए, जिसमें नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 2/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022, सामान्य परिपत्र संख्या 09/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 तथा सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 ("एमसीए परिपत्र"), परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/4 दिनांक 5 जनवरी, 2023, सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2023/167 दिनांक 7 अक्टूबर, 2023 तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 ("सेबी परिपत्र") कंपनियों को वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) आयोजित करने की अनुमति देता है, जिसके लिए सदस्यों की एक ही स्थान पर भौतिक उपस्थिति आवश्यक नहीं है। 9वीं वार्षिक आम बैठक का स्थान कंपनी का पंजीकृत कार्यालय अर्थात एफ–1, प्लॉट संख्या ए–48, प्रथम तल, ब्लॉक ए, वजीरपुर, आईएनडी एरिया लैंडमार्क, एनआर होगा। फायर स्टेशन के सामने, वज़ीर पुर प्प्, उत्तर पश्चिम दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110052 है।

एमसीए परिपत्रों तथा सेबी परिपत्रों के अनुरूप, 9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024–2025 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ उसके द्वारा किए जाने वाले साधारण तथा विशेष व्यवसाय का विवरण दिया गया है, सोमवार, 8 सितंबर, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन शेयरधारकों को भेज दी गई है जिनकी ईमेल आईडी कंपनी/कंपनी के रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के पास पंजीकृत हैं तथा ये कंपनी की वेबसाइट **www.silkyoverseas.com** तथा स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई इंडिया की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर भी उपलब्ध हैं।

बही समापन : एतद्द्वारा यह भी सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के साथ पठित उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) के विनियम 42 के अनुसार विनियम, 2015 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर तथा शेयर हस्तांतरण बहीखाते 9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के लिए मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 से मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगे।

जिन सदस्यों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं तथा जिन्होंने कंपनी के साथ अपने ईमेल पते अपडेट नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ अपने ईमेल पते अपडेट करें। जिन सदस्यों के पास डीमैट रूप में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे ईमेल पते अपडेट करने के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत/अपडेट करें।

एजीएम में शामिल होने का तरीका : वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के निर्देश कंपनी की 9वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना में दिए गए हैं।

रिमोट ई–वोटिंग तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंगः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन तथा प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 के अनुपालन में, एमसीए परिपत्रों तथा इस संबंध में जारी सेबी परिपत्रों के साथ पठित, कंपनी शेयरधारकों को एजीएम में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने वोट देने के अधिकार का प्रयोग करने के लिए रिमोट ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने में प्रसन्न है। सदस्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके वोट डालने तथा वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से 9वीं एजीएम में भाग लेने की सुविधा के साथ–साथ एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान की जाएगी।

i- अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विवरण दिया जाना आवश्यक है जो इस प्रकार हैं:

ii- रिमोट ई–वोटिंग अवधि शनिवार, 27 सितंबर, 2025 को सुबह 9:00 बजे से शुरू होकर सोमवार, 29 सितंबर, 2025 को सुबह 5:00 बजे (प्रथम) समाप्त होगी। इसके बाद ई–वोटिंग मॉड्यूल मतदान के लिए अक्षम कर दिया जाएगा तथा सदस्यों को उक्त तिथि तथा समय के बाद इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने की अनुमति नहीं होगी तथा एक बार किसी सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर मतदान कर दिए जाने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं होगी। 9वीं वार्षिक आम बैठक में भी ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिन सदस्यों ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना मतदान नहीं किया है, वे 9वीं वार्षिक आम बैठक में मतदान कर सकेंगे।

iii. कंपनी के वे सदस्य जिनके पास कट–ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को शेयर हैं। सदस्यों के मताधिकार कट–ऑफ तिथि को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे। जिस व्यक्ति का नाम कट–ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वही रिमोट ई–वोटिंग, वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से एजीएम में भागीदारी तथा एजीएम के दौरान ई–वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।

iv- कोई भी व्यक्ति जो नोटिस भेजे जाने के बाद कंपनी के शेयर प्राप्त करता है तथा सदस्य बनता है, अर्थात कट–ऑफ तिथि अर्थात सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को शेयर भेजे तथा धारण किए हुए है, वह ई–वोटिंग के लिए नोटिस में उल्लिखित चरणों का पालन कर सकता है। ई–वोटिंग लॉगिन विवरण वोट डालने के लिए यूजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के लिए हैं।

v- जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाला है, वे वीसी/ओएवीएम मोड के माध्यम से भी एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन एजीएम के दौरान ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के पात्र नहीं होंगे। सदस्य एजीएम में भाग ले सकते हैं भले ही उन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट न डाला हो, लेकिन उन्हें एजीएम के दौरान वोट करने की अनुमति नहीं होगी।

vi- डीमैटरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों तथा जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनके लिए एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग तथा ई–वोटिंग के विस्तृत निर्देश कंपनी की 9वीं एजीएम की सूचना में दिए गए हैं।

vii- जिन सदस्यों के पास एनएसडीएल वेबसाइट (www.evotingindia.com) से एजीएम में भाग लेने तथा ई–वोटिंग के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, वे कंपनी के रजिस्ट्रार तथा ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, डी–153ए, प्रथम तल ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I, नई दिल्ली–110020 भारत से संपर्क करें। ईमेल : helpdesk.evoting@cdslindia.com या टोल–फ्री नंबर 1800 22 0991 पर कॉल करें या कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी श्री रेवैल कादियान से संपर्क करें: ग्राम एवं डाकघर जावरा, परधाना रोड, नाइल ओवरसीज के पास, तहसील – खानपुर कलां, गोहाना, हरियाणा –131306, भारत, दूरभाषः +91 9416109575, ईमेल : **cs@silkyoverseas.com**

अपपप. कंपनी मतगणना तथा संवीक्षक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद मतदान के परिणाम घोषित करेगी तथा परिणाम कंपनी की वेबसाइट **www.silkyoverseas.com** तथा एनएसई इंडिया की वेबसाइट **www.nseindia.com** पर भी अपडेट किए जाएँगे।

कृते सिल्की ओवरसीज लिमिटेड
हस्ता./–
रेवैल कादियान
कंपनी सचिव

दिनाँक : 10–09–2025
स्थान : नई दिल्ली

LT FOODS

NURTURING GOODNESS
CIN L74899DL1990PLC041790
पंजीकृत कार्यालयः- यूनिट संख्या 134, पहली मंजिल, रेक्टैंगल-1, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110017 दूरभाषः 011- 29565344
कॉर्पोरेट कार्यालयः चौथी मंजिल, MVL-I पार्क, सेक्टर-15, गुरुग्राम-122001, दूरभाषः 0124-3055100, ईमेलः ir@ltgroup.in, वेबसाइटः www.ltgroup.in

35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना और ई–वोटिंग की जानकारी

यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 35वीं वार्षिक आम बैठक ('एजीएम') मंगलवार, 30 सितंबर, 2025 भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य दृश्य–श्रव्य माध्यमों ('ओएवीएम') से आयोजित की जाएगी।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') की 19 सितंबर, 2024 दिनांकित सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') की 3 अक्टूबर, 2024 दिनांकित परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएफडी–पीओडी–2/पी/सीआईआर/2024/133 (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से 'परिपत्र' कहेंगे) के अनुसार, कम्पनियों को किसी एक आम स्थान पर सदस्यों की वास्तविक उपस्थिति के बिना वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक आम बैठक आयोजित करने की अनुमति प्राप्त है। तदनुसार कम्पनी की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है। कम्पनी कथित परिपत्रों का अनुपालन करते हुए एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट 8 सितंबर, 2025 को कंपनी के सिर्फ उन सदस्यों को ई–मेल से भेज चुकी है, जिनके पास शुक्रवार, 29 अगस्त, 2025 (सूचना भेजने की अंतिम तिथि) तक कम्पनी के शेयर हैं और जिनकी ई–मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी(ओं)/कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास दर्ज हैं। इसके साथ–साथ सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और आवश्यक घोषणाएं) विनियम, 2015 ('सूचीबद्धता विनियम') के विनियम 36(1)(बी) के अनुसार एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए जरूरी वेब–लिंक और क्यूआर कोड सहित एक पत्र 8 सितंबर, 2025 को उन सदस्यों को भेजा दिया गया जो कम्पनी या फिर किसी डिपॉजिटरी या बिगशेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ('आरटीए') के पास अपनी ई–मेल आईडी नहीं दर्ज कर पाए हैं।

कम्पनी सभी योग्य सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 के प्रावधानों और संशोधित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) विनियम, 2014 के नियम 20 और संशोधित लिस्टिंग विनियमों के नियम 44 के अनुपालन में कम्पनी अधिनियम के लागू प्रावधानों और एजीएम की सूचना में उल्लिखित सभी व्यावसायिक कार्यों पर परिपत्रों के अनुसार रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ('रिमोट ई–वोटिंग') और एजीएम में ई–वोटिंग की सुविधा ('ई–वोटिंग') (सामूहिक रूप से 'इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग' की सुविधा) दे रही है। सदस्य जो रिमोट ई–वोटिंग से अपना वोट नहीं देंगे वे एजीएम में ई–वोटिंग से वोट दे सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम आयोजित करने की सुविधा देने वाली एजेंसी के तौर पर कम्पनी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ('एनएसडीएल') की सेवाएं ली हैं। कानून के अनुसार निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिए श्री देबाशीष दीक्षित, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सचिव, को स्क्रूटनाइजर नियुक्त किया गया है।

सदस्यों को सूचित किया जाता है कि –

क. सदस्य जिनके पास अंतिम तिथि अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 को वास्तविक या डीमैट रूप में शेयर है वे इस सूचना में उल्लिखित कार्यों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से अपना वोट देने के अधिकारी होंगे। शेयरधारक जो वीसी के माध्यम से भाग लेंगे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम में उनकी भी गिनती की जाएगी।

ख. कम्पनी एजीएम की नोटिस के साथ 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट ई–मेल करने का काम 8 सितंबर, 2025 को पूरी कर चुकी है।

ग. रिमोट ई–वोटिंग की अवधि शनिवार, 27 सितंबर, 2025 भारतीय समयानुसार पूर्वान्ह 09:00 बजे शुरू होगी और सोमवार, 29 सितंबर, 2025, भारतीय समयानुसार शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। इसके बाद वोटिंग के लिए उपलब्ध ई–वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल निष्क्रिय कर देगी। सदस्य जिन्होंने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर अपना वोट नहीं डाला है और उन्हें ऐसा करने से प्रतिबंधित भी नहीं किया गया है, वे वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कम्पनी से मिली एनएसडीएल की ई–वोटिंग सुविधा से वोट देने के पात्र होंगे।

घ. वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की सूचना भेजने के बाद कम्पनी के शेयर मिलने और कम्पनी का सदस्य बनने और अंतिम तिथि अर्थात मंगलवार, 23 सितंबर, 2025 तक शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति evoting@nsdl.com के माध्यम से अनुरोध कर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति एनएसडीएल पर पहले से ही ई–वोटिंग के लिए रजिस्टर्ड है, तो वर्तमान यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से वोट दे सकता है।

ङ. रिमोट ई–वोटिंग से किसी प्रस्ताव पर वोट देने के बाद किसी भी सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सदस्य जो वार्षिक आम बैठक (एजीएम) से पहले रिमोट ई–वोटिंग से वोट दे चुके हैं, वे भी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें दोबारा वोट देने का अधिकार नहीं होगा।

च. सदस्यगण कृपया ध्यान दें कि 35वीं एजीएम की सूचना के साथ वित्त वर्ष 2024–25 की वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.ltfoods.com और स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com और www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट https://www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध हैं।

छ. संबंधित डॉक्युमेंट्स की प्रतियां एजीएम की तिथि तक किसी कार्य दिवस की कार्य अवधि में देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में उपलब्ध रहेंगी। इच्छुक सदस्य ir@ltgroup.in पर ईमेल भेज कर ये देख सकते हैं।

ज. शेयरधारक जिनकी ईमेल आईडी अभी तक दर्ज नहीं है उनसे अनुरोध है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए एजीएम की सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया से अपनी ईमेल आईडी दर्ज कर दें।

झ. कम्पनी ने वित्त वर्ष 2024–25 के अंतिम लाभांश के भुगतान के लिए, यदि एजीएम में अनुमोदन होता है, सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 19 सितंबर, 2025 को 'रिकॉर्ड तिथि' तय किया है। सदस्यों से अनुरोध है कि लाभांश मिलने में विलंब से बचने के लिए अपने डिपॉजिटरी (जहां डीमैटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखे जाते हैं) और कम्पनी के आरटीए (जहां वास्तविक रूप में शेयर रखे जाते हैं) के पास अपना केवाईसी अपडेट करें। इसके लिए फॉर्म आईएसआर–1 और अन्य संबंधित फॉर्म में दिए गए विवरण आरटीए के पास अपडेट करने होंगे।

ञ. सदस्यगण यह ध्यान रखें कि वित्त अधिनियम, 2020 के माध्यम से संशोधित आयकर अधिनियम, 1961, ('आईटी अधिनियम') के अनुसार 1 अप्रैल, 2020 के बाद कम्पनी द्वारा भुगतान या वितरित लाभांश सदस्यों के हाथों में कर योग्य है। अतः कम्पनी के लिए अंतिम लाभांश का भुगतान करते समय स्रोत पर कर ('टीडीएस') काटना आवश्यक है। कम्पनी टीडीएस की उचित दर निर्धारित करने में सक्षम हो इसके लिए सदस्यों से अनुरोध है कि टीडीएस की दरों, छूटों और संबंधित दस्तावेज़ जमा करने की प्रक्रिया जानने के लिए एजीएम की सूचना में संलग्न एनेक्सर II पढ़ें।

ट. ये डॉक्युमेंट 18 सितंबर, 2025 या उससे पहले मेल से भेजा जाना आवश्यक है। 18 सितंबर, 2025 के बाद कर की कटौती रोकने के संबंध में सदस्यों का कोई पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस विषय में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए शेयरधारक bssdelhi@bigshareonline.com या ir@ltgroup.in के माध्यम से लिख सकते हैं।

ठ. यदि किसी सदस्य को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के संबंध में कोई शिकायत/चिंता हो तो सुश्री पल्लवी म्हात्रे, वरिष्ठ प्रबंधक, एनएसडीएल से ई–मेल evoting@nsdl.com, दूरभाष – 022–4886 7000 के माध्यम से संपर्क कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से संबंधित किसी भी चिंता के समाधान के लिए सदस्य सुश्री मोनिका चावला जग्गिया, कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी से भी ir@ltgroup.in के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

कृते एलटी फूड्स लिमिटेड
हस्ता/–
मोनिका चावला जग्गिया
कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थान – गुरुग्राम
दिनांक – 08.09.2025